न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पीठासीन अधिकारी– मनोज कुमार (आर. ए. एस.)

अपील संख्या : 2014/00070

बाला लाल उर्फ बालाराम आत्मज स्वर्गीय देवा जी, जाति भील, निवासी ग्राम जगपुरा, तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा।

—अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती मोहनीबाई पुत्री स्वर्गीय श्री देवा जी, पत्नी तुलसीराम जी, जाति भील निवासी ग्राम लखारिया, तहसील रामगंजमंडी जिला कोटा (राज0)।
2. श्रीमती मानबाई पुत्री स्वर्गीय श्री देवा जी, पत्नी श्री उदा जी, जाति भील निवासी ग्राम दाता, तहसील कनवास, जिला कोटा(राज0)।
3. श्रीमती कन्याबाई पुत्री स्वर्गीय श्री देवा जी पत्नी श्री बालचन्द जी जाति भील निवासीग्राम गोरधनपुरा, तहसील रामगंजमंडी, जिला कोटा(राज0)।
4. श्रीमती नानूबाई पुत्री स्वर्गीय श्री देवा जी पत्नी श्री बालाराम जाति भील निवासीग्राम गोरधनपुरा, तहसील रामगंजमंडी, जिला कोटा(राज0)।
5. हीरालाल आत्मज स्वर्गीय श्री नारायण जी जाति भील निवासी ग्राम जगपुरा, तहसील रामगंजमंडी, जिला कोटा (राज0)।
6. हरीशचन्द पिसरान स्वर्गीय श्री नारायण जी, जाति भील निवासीगण ग्राम जगपुरा तहसील रामगंजमंडी, जिला कोटा (राज0)।
7. धनराज पिसरान स्वर्गीय श्री नारायण जी, जाति भील निवासीगण ग्राम जगपुरा तहसील रामगंजमंडी, जिला कोटा (राज0)।
8. श्रीमती धूलीबाई पुत्री स्व0 श्रीनारायण जी, जाति भील निवासी ग्राम जगपुरा, तहसील रामगंजमंडी, जिला कोटा (राज0)।
9. माधोलाल आत्मज स्व0 श्री सेवा जी, जाति भील, निवासी ग्राम जगपुरा, तहसील रामगंजमंडी, जिला कोटा (राज0)।
10. दी स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये राजकीय अभिभाषक, कोटा(राज0)।

—रेस्पोडेन्ट

अपील संख्या : 2014/00071

बाला लाल उर्फ बालाराम आत्मज स्वर्गीय देवा जी, जाति भील, निवासी ग्राम जगपुरा, तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा(राज0)।

—अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती मोहनीबाई पुत्री स्वर्गीय श्री देवा जी, पत्नी तुलसीराम जी, जाति भील, निवासी ग्राम लखारिया, तहसील रामगंजमंडी जिला कोटा(राज0)।

2. श्रीमती मानबाई पुत्री स्वर्गीय श्री देवा जी, पत्नी श्री उदा जी, जाति भील निवासी ग्राम दाता, तहसील कनवास, जिला कोटा(राज0)।
3. श्रीमती कन्याबाई पुत्री स्वर्गीय श्री देवा जी पत्नी श्री बालचन्द जी जाति भील, निवासीग्राम गोरधनपुरा, तहसील रामगंजमंडी, जिला कोटा(राज0)।
5. हीरालाल आत्मज स्वर्गीय श्री नारायण जी जाति भील निवासी ग्राम जगपुरा, तहसील रामगंजमंडी, जिला कोटा (राज0)।
6. हरीशचन्द पिसरान स्वर्गीय श्री नारायण जी, जाति भील निवासीगण ग्राम जगपुरा तहसील रामगंजमंडी, जिला कोटा (राज0)।
7. धनराज पिसरान स्वर्गीय श्री नारायण जी, जाति भील निवासीगण ग्राम जगपुरा तहसील रामगंजमंडी, जिला कोटा (राज0)।
8. श्रीमती धूलीबाई पुत्री स्व0 श्रीनारायण जी, जाति भील निवासी ग्राम जगपुरा, तहसील रामगंजमंडी, जिला कोटा (राज0)।
9. मघोलाल आत्मज स्व0 श्री सेवा जी, जाति भील निवासी ग्राम जगपुरा, तहसील रामगंजमंडी, जिला कोटा (राज0)।
10. दी स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये राजकीय अभिभाषक, कोटा(राज0)।

—रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :— 1. श्री नरेन्द्र गुप्ता, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से दोनों अपीलों में ।
2. श्री जितेन्द्र नामा, अभिभाषक, अपील सं0 2014/00070 में रेस्पोडेन्ट कम 01 से 04 की ओर से व अपील सं0 2014/00071 में रेस्पोन्डेन्ट कम 01 से 03 की ओर से।

निर्णय दिनांकः 06.07.2023

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त दोनों अपीले अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगंजमण्डी जिला कोटा के प्रकरण संख्या 57/2009 में पारित प्राथमिक निर्णय व डिकी दिनांक 23.01.2012 एवं अंतिम निर्णय व डिकी दिनांक 14.11.2013 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. उक्त दोनों अपीलें एक ही वादग्रस्त आराजी से सम्बन्धित होने तथा समान पक्षकार होने तथा एक अपील प्राथमिक निर्णय व डिकी तथा दूसरी अपील अंतिम निर्णय व डिकी की होने से उक्त दोनों अपीलों का निर्णय इस एकल निर्णय से किया जा रहा है । निर्णय की प्रति अलग–अलग पत्रावली में संलग्न की जावे ।

3. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण द्वारा जर्ये अभिभाषक वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 53, 54 प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि वाके माल ग्राम तैल्याखेडी तहसील रामगंजमण्डी में खाता सं0 47 में वादिनीगण तथा प्रतिवादीगण 1 लगायत 6 एवं मृतक भंवरीबाई बेवा देवा जाति मील निवासीयान जगपुरा के शामलाती खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी, खसरा नं0 59 की रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नं0 60 की रकबा 11 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नं0 208 की रकबा 10 बीघा 06 बिस्वा, खसरा नं0 218 की रकबा 10 बीघा 01 बिस्वा कुल किता 4 की रकबा 34 बीघा

07 बिस्वा दर्ज है। भंवरी बेवा देवा की मृत्यु हो चुकी है इसके वारिसान वादिनीगण एवं प्रतिवादी नं0 1 पूर्व से रिकार्ड पर है। अधीनस्थ न्यायालय की वाद पत्र की मद नं0 01 में वर्णित आराजी में वादिनीगण का हिस्सा 4/15 निहित है तथा प्रतिवादी नं0 01 का हिस्सा 1/15 प्रतिवादी नं0 02, 03, 05 का हिस्सा 1/3 व प्रतिवादी नं0 06 का हिस्सा 1/3 दर्ज खाता है। तथा वाके माल ग्राम जगपुरा तहसील रामगंजमण्डी में खता सं0 60 में वादीगण 1, 2, 3 ण्एवं प्रतिवादीगण के शामलाती खाते एवं कब्जे काश्त में खसरा नं0 140 की 02 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नं0 150 की रकबा 01 बीघा, खसरा नं0 219 की रकबा 04 बीघा 05 बिस्वा, खसरा नं0 221 की रकबा 02 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नं0 220/417 की रकबा 000 10 बिस्वा कुल 05 किता की रकबा 11 बीघा 08 बिस्वा मलगामी 24 रूपये 05 पैसा दर्ज है। जिसमें वादीगण 01 लगायत 03 व प्रतिवादी नं0 01 का हिस्सा 1/3 तथा प्रतिवादीगण नं0 02, 03, 04 व 05 का हिस्सा 1/3 व प्रतिवादी नं0 06 का हिस्सा 1/3 दर्ज है। यानि वादीगण का हिस्सा 1/4 निहित है। तथा ग्राम जगपुरा खाता सं0 61 में खसरा नं0 मिन 133 की 10 बीघा बारानी लगामी 7.80 रूपये दर्ज है। जिसमें वादी नं0 01, 02, 03 का हिस्सा 3/4 व प्रतिवादी नं0 01 का हिस्सा1/4 निहित है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत वाद पत्र की मद सं0 01, 03, 04 में वर्णित आराजी का विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। जिससे काश्त करते समय लगान अदा करते समय व कृषि के उन्नत विकास के लिये संबंधित बैंक से उधार लेते समय अक्सर पक्षकारान के मध्य झगडे होते रहते है। दिनांक 25.06.2009 को वादीगण ने प्रतिवादीगण से कहा कि अदालत में चलकर खाता अलग–अलग करा लेते है तो प्रतिवादीगण ने इंकार कर दिया व कहा कि खाता अलग नहीं कराने दूंगा। ऐसी स्थिति में वादीगण के लिए आवश्यक हो गया कि वाद पत्र की मद सं0 01, 03 व 04 में वर्णित आराजियात में विधिवत खाता विभाजन करा कर स्वतंत्र रूप से दखल प्राप्त करे। एवं लगान भी पृथक मुकर्रर करावे। साथ ही मृतक भंवरी का नाम खाते से खारिज करावे। अन्त मे वादपत्र की मद संख्या 1 मे वर्णित आराजीया तमे मृतक भंवरी बेवा देवा का नाम खाते से खारिज फरमाया जाकर नियमानुसार खाता विभाजन किया जाकर वादीगण का हिस्सा 4/15 पृथक खाते दर्ज किया जाकर वादीगण को अच्छी मे से अच्छी व बुरी मे से बुरी अनुसार विभाजन किये जाने का निवेदन किया। साथ ही वादपत्र की चरण संख्या 3 व 4 मे वर्णित आराजी का खाते मे नियमानुसार विभाजन किया जाकर वादीगण संख्या 1, 2, 3 का हिस्सा 1/4 व खाता संख्या 61 मे 3/4 हिस्सा वादी संख्या 1, 2, 3 पृथक खाते मे दर्ज किया जाकर वादीगण संख्या 1 से 3 को स्वतंत्र रूप से दखल दिलवाये जाने का निवेदन किया।

4. उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 23.01.2012 को वाद वादी स्वीकार कर प्रारंभिक डिक्री किया जाकर नायब तहसीलदार रामगंजमण्डी को कमिश्नर नियुक्त किया गया तथा उक्त आराजियात का वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य रिकार्ड व मौके के अनुसार प्रस्तावित विभाजन कर रिपोर्ट कर नजरी–नक्शा सहित अंदर 7 योम में प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये। प्राथमिक डिक्री की अनुपालना में प्रतिवादी नं0 07 द्वारा तैयार विभाजन प्रस्ताव पर विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष को सुना गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी नं0 07 की ओर से प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाकर दिनांक 14.11.13 को वाद में अंतिम डिक्री कर तहसीलदार रामगंजमण्डी को निर्देश दिये गये कि विभाजन अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 23.01.2012 एवं अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 14.11.2013 से व्यथित होकर प्रतिवादी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में दोनों अपील अपीलान्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 23.01.2012 एवं अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 14.11.2013 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः दोनों अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 23.01.2012 एवं अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 14.11.2013 निरस्त किये जावें ।

6. अपीलांट की ओर से प्रस्तुत दोनो अपीले मियाद बाहर होने से दोनो अपीलों के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम 1963 मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील मियाद के बिन्दु पर निर्णय को सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे अपील सं0 2014/00070 में रेस्पोडेन्ट कम 01 से 04 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा शेष रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अपील सं0 2014/00071 में रेस्पोन्डेन्ट कम 01 से 03 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा शेष रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व दोनो पत्रावलीयां वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

7. अपीलान्ट ने अपील के साथ भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 05 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रतिवादी ने अधीनस्थ न्यायालय में अपनी ओर से पैरवी के लिए श्री सुनील खंडेलवाल को एडवोकेट नियुक्त किया था। प्रतिवादी ने अपने वकील साहब को प्रकरण से संबंधित समस्त तथ्य बतला दिए थे एवं वकील साहब की संपूर्ण भी सदा कर दी थी। प्रतिवादी में वकील साहब को जवाब दावा प्रस्तुत करने के लिए हस्ताक्षरित कागज भी दे दिए थे। वकील साहब ने प्रतिवादी को जवाब दावा प्रस्तुत करने एवं मुकदमे की अग्रिम कार्यवाही में स्वयं उपस्थित रहने का आश्वासन भी दिया था तथा आवश्यकता होने पर प्रतिवादी को सूचना देने का भी आश्वासन दिया था। प्रतिवादी वकील साहब के भरोसे रहा परंतु उनके द्वारा प्रतिवादी को उक्त मुकदमे के बाबत एवं निर्णय व डिग्री जय अपील के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई थी । उक्त प्रकरण में प्रतिवादी के वकील साहब द्वारा जवाब दावा भी प्रस्तुत नहीं किया गया था इस कारण प्रतिवादी का जवाब दावा भी बंद कर दिया गया था। प्रतिवादी को निर्णय में डिग्री जा रैपिड की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 24 मार्च 2014 को पटवारी हल्का के पास जमाबंदी संवत 2068 लगायत 2071 की प्रमाणित प्रतिलिपि लेने जाने पर एवं उसके द्वारा निर्णय में डिग्री जैर अपील के बाबत बतलाने पर सर्वप्रथम जानकारी हुई। दिनांक 24 फरवरी 2014 से पूर्व प्रतिवादी को निर्णय डिग्री के संबंध में कोई जानकारी नहीं थी। उक्त प्रकार जानकारी होने पर प्रतिवादी ने मालूमात कर प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिए दिनांक 9 अप्रैल 2014 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो प्रतिवादी को दिनांक 15 अप्रैल 2014 को प्राप्त हुई। वकील साहब की फीस एवं अपील में खर्च हेतु रकम का इंतजाम कर प्लांट अभिलंब या अपील सामान्य न्यायालय में प्रस्तुत कर रहा है जो सर्वप्रथम जानकारी की तारीख 24 मार्च 2014 से निर्णय पर डिग्री की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने के दिन मुजरा करने पर एवं अपील के खर्च तथा वकील साहब की फीस हेतु रकम का इंतजाम करने के लिए मुजरा

करने अवधि मध्य प्रस्तुत है। अन्त मे अपील मे हुई देरी को क्षमा किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार किये जाने का निवेदन किया।

8. हमने अधिवक्ता अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम मय शपथ–पत्र का अवलोकन किया। न्यायहित मे अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय मियांद अधिनियम मय शपथ–पत्र स्वीकार किया जाता है। अपील मे हुए विलम्ब की अवधि को क्षमा किया जाता है तथा अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

9. अधिवक्ता अपीलांट ने अपील संख्या 2014/00070 के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी प्रस्तुत किया जाकर प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजो को रिकॉर्ड पर लिये जाने का निवेदन किया। हमने प्रार्थना–पत्र व उसके साथ सलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज राजस्व रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रतिलिपियॉ है जिनका प्रकरण से सुसंगत होना एवं अपील के निस्तारण मे सहायक सिद्ध होना प्रतीत होता है। अतः न्यायहित मे प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी स्वीकार किया जाकर प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर लिया जाता है।

10. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपील मीमो में अंकित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने वादिगण रेस्पोंडेंट नंबर 1 लगायत 4 द्वारा प्रस्तुत दवा बाबत हक घोषणा खातेदारी एवं विभाजन आराजी डिक्री फरमाकर विभाजन आराजी का अंतिम निर्णय एवं डिक्री सादर फरमाने में त्रुटि की है। प्रतिवादी अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में पैरवी करने के लिए श्री सुनील कुमार खंडेलवाल एडवोकेट को अपनी ओर से वकील नियुक्त किया था। प्रतिवादी अपीलांट ने उक्त वकील साहब को प्रकरण से संबंधित समस्त तथ्य बतला दिए थे एवं वकील साहब को संपूर्ण फीस अदा कर दी थी। वकील साहब को जवाब दावा प्रस्तुत करने के लिए हस्ताक्षरित कागज भी दे दिए थे। वकील साहब ने प्रतिवादी को जवाब दावा प्रस्तुत करने एवं मुकदमे की अग्रिम कार्यवाही में स्वयं उपस्थित रहने का आश्वासन भी दिया था तथा आवश्यकता होने पर प्रतिवादी को सूचना देने का आश्वासन भी दिया था। प्रतिवादी अपीलांट वकील साहब के भरोसे रहा परंतु उनके द्वारा प्रतिवादी अपीलांट को उक्त मुकदमे के बाबत एवं निर्णय पर डिक्री जर्ये अपील के बाबत कोई सूचना नहीं दी गई थी। उन्होंने मुकदमे में कोई रुचि नहीं ली, जवाब दावा तक पेश नहीं किया। इस कारण प्रतिवादी अपीलांट का जवाब दावा बंद कर दिया तथा प्रतिवादी अपीलांट के वकील साहब द्वारा वादीगण रेस्पोंडेंट के गवाहान से जिरह भी नहीं की गई। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री जैर अपील प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है। प्रतिवादी अपीलांट के पिता श्री देवा जी आत्मज कंवरा जी, जाती मिल निवासी ग्राम जगपुरा तहसील रामगंजमंडी जिला कोटा के खाते व कब्जे काश्त में ग्राम जगपुरा तहसील रामगंजमंडी के 11 बीघा 8 बिस्वा व तथा ग्राम तैल्याखेड़ी तहसील रामगंजमंडी जिला कोटा में 34 बीघा 7 बिस्वा आराजियात स्थित थी। प्रतिवादी अपीलांट के पिता श्री देवा जी का स्वर्गवास हो चुका है। प्रतिवादी अपीलांट के पिता श्री देवा जी प्रतिवादी एवं वादिगण रेस्पोंडेंट नंबर 01 लगायत 04 एवं अन्य रेस्पोंडेंट नंबर 05 लगायत 09 जाति से मील है। मील जाती राजस्थान में एक अनुसूचित जनजाति है। अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिए

उत्तराधिकार के संबंध में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं । बल्कि ओल्ड हिंदू लॉ के प्रावधान लागू होते हैं। प्रतिवादी अपीलांट की माता श्रीमती भंवरी बेवा देवा जी का भी स्वर्गवास हो चुका है। ओल्ड हिंदू लॉ के प्रावधानों के अनुसार प्रतिवादी अपीलांट मृतक खातेदार श्री देवा जी का पुत्र होने से उनका एकमात्र उत्तराधिकारी है। प्रतिवादी अपीलांट के पिता श्री देवा जी के स्वर्गवास के उपरांत से प्रतिवादी संपूर्ण वाद विषयक आराजियात पर तन्हा रूप से काबिज चला आ रहा है एवं वर्तमान में भी काबिज है। इस आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री सर्वथा अवैध, त्रुटिपूर्ण, अधिकारविहीन होने से निरस्त होने योग्य है। वादी रेस्पोंडेंट नंबर 01 लगायत 04 खातेदार श्री देवा जी की पुत्रियां हैं। वादी रेस्पोंडेंट नंबर 01 लगायत 04 जाति से मील एवं अनुसूचित जाति की सदस्य होने से मृतक देवा जी का प्रतिवादी पुत्र होने से पुत्र की मौजूदगी में वादी रेस्पोंडेंट नंबर 01 लगायत 04 मृतक श्री देवा जी की उत्तराधिकारी नहीं है। इस कारण वादी रेस्पोंडेंट नंबर 01 लगायत 04 का उपरोक्त आराजियात में कोई हक एवं अधिकार नहीं हैं। वादी रेस्पोंडेंट नंबर 01 लगायत 04 को दावा प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं था। वादी रेस्पोंडेंट नंबर 01 लगायत 04 का उपरोक्त आराजियात में कोई हित निहित नही है। वादी रेस्पोंडेंट नंबर 01 लगायत 04 का उपरोक्त आराजियात पर कब्जा नहीं है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोंडेंट नंबर 01 लगायत 04 द्वारा प्रस्तुत दावा खारिज होने योग्य था। उपरोक्त आराजियात पर प्रतिवादी अपीलांट ने अमरूदों के वृक्ष लगा रखे है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तावित विभाजन की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए तहसीलदार साहब रामगंज मंडी को कमिश्नर नियुक्त कर आवेशित किया गया था। तहसीलदार साहब रामगंज मंडी में स्वयं मौका नहीं देखा एवं प्रस्तावित विभाजन की रिपोर्ट तैयार नहीं की। असंबंधित एवं अनाधिकृत व्यक्ति पटवारी हल्का एवं कानूनगो द्वारा एकपक्षीय त्रुटिपूर्ण एवं मनमानी रिपोर्ट को आधार बनाकर अधीनस्थ न्यायालय ने विभाजन आराजी की अंतिम निर्णय व डिक्री पारित फरमाने में त्रुटि की है। पटवारी एवं कानूनगो ने प्रतिवादी अपीलांट को सूचना दिए बिना ही उसकी अनुपस्थिति में एकपक्षीय त्रुटिपूर्ण मौके की स्थिति के विपरीत रिपोर्ट तैयार की है। जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिकी दिनांक 14.11.2013 एवं अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 23.01.2012 सर्वथा त्रुटिपूर्ण, मनमानी एवं अधिकारविहीन होने से निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय में डिक्री जैर अपील प्रतिवादी अपीलांट की अनुपस्थिति में पारित किया गया है। अपनी बहस के समर्थन मे अधिवक्ता अपीलांट की ओर से न्यायिक दृष्टांत आर.आर.डी. 1988 पेज 61, 2021(1) आर. आर.टी. पेज 705, 2021(1) आर.आर.टी. पेज 708 सुप्रीम कोर्ट, 2018–19(सप्लीमेंट्री) आर. आर.टी. पेज 145, 2010(2) आर.आर.टी. पेज 1319 प्रस्तुत किये। अंत में अधिवक्ता अपीलांट ने दोनों अपीले स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिकी दिनांक 23.01.2012 और अंतिम निर्णय व डिकी दिनांक 14.11.2013 खारिज किये जाने का निवेदन किया।

11. अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्षकारान के राजस्व रिकॉर्ड मे निहित हक हिस्से अनुसार प्राथमिक निर्णय व डिकी पारित की गई है जो विधि सम्मम है। प्राथमिक डिकी की पालना मे तैयार विभाजन प्रस्ताव प्राथमिक डिकी के अनुसार होने से उक्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित आराजीयात के विभाजन की अंतिम निर्णय व डिकी पारित की है, जो विधि सम्मत होने से अपीलांट की ओर से प्रस्तुत दोनो अपीलें खारिज

किये जाने योग्य है। अपनी बहस के समर्थन मे अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से न्यायिक दृष्टांत मधु किश्वर बनाम स्टेट ऑफ बिहार(1996), Saravanan Vs. Semmayee हाईकोर्ट मद्रास 2023 प्रस्तुत किया। अन्त मे अपीलांट की ओर से प्रस्तुत दोनो अपीले खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 23.01.2012 और अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 14.11.2013 यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

12. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 11.08.2009 से यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी सं0 1, 2, 3, 5, 6 की ओर से वकालतनामा प्राप्त हुआ। अपीलांट ने अपील में भी कथन किया है कि उन्होंने अधीनस्थ न्यायालय में अधिवक्ता नियुक्त किया था। आदेशिका दिनांक 12.01.2010 के अनुसार प्रतिवादीगण का जवाब– दावा बंद किया गया। अतः स्पष्ट है कि बालाराम को स्वयं तथा उनकी ओर से नियुक्त अधिवक्ता को प्रारंभ में ही संपूर्ण प्रकरण की जानकारी थी। आदेशिका दिनांक 16.05.2011 के अनुसार पत्रावली मे बहस सुनी जाकर पत्रावली दिनांक 02.06.2011 को निर्णय हेतु नियत की गई। परंतु दिनांक 02.06.2011 को निर्णय नहीं सुनाया जा सका। तथा पत्रावली पुनः बहस में नियत की गई। दिनांक 11.01.2012 को बकुलाय फरीकेन की उपस्थिति हुए तथा बहस सुनी गई। दिनांक 23.01.2012 को उभयपक्ष के अधिवक्तागण की उपस्थिति में निर्णय सुनाया गया। दिनांक 31.10.2013 को उभयपक्ष की बहस सुनकर दिनांक 14.11.2013 को उभयपक्ष अधिवक्तागण की उपस्थिति में निर्णय सुनाया गया। अतः स्पष्ट है कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में अपना अधिवक्ता भी नियुक्त किया। हम अधिवक्ता अपीलांट के इस कथन से सहमत नहीं है कि अपीलांट प्रतिवादी को अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही की जानकारी नहीं थी। निर्णय दिनांक 14. 11.2013 के विरूद्ध दिनांक 30.04.2014 को अपील प्रस्तुत की गई है। मूलतः अपीलांट को प्राथमिक डिक्री में किये गये निर्णय के विरूद्ध आक्षेप है। अधिवक्ता अपीलांट का कथन है कि अनुसूचित जनजाति होने के कारण उन पर ओल्ड हिन्दु लॉ के कानून लागू होंगे, अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि के विरूद्ध है तथा जो निर्णय प्रारंभ से विधि शून्य हो, उस पर मियाद अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि अधिवक्ता रेस्पो0 के सभी संतानों के हक अधिकारों का होने का कथन करते हुए न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया। हम प्रथम दृष्ट्या अधिवक्ता अपीलांट के द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृ ष्टांतों से सहमत है कि पक्षकारान भील जनजाति से है तथा इन पर हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 लागू नहीं होता हालांकि अंतिम निष्कर्ष तो दोनो पक्षों के साक्ष्यों, गवाहों के आधार पर गुणावगुण पर निर्णय के पश्चात ही संभव हो सकता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों से प्रतीत होता है कि भूमि पैतृक है। हालांकि देवा से भूमि पक्षकारान के नाम दर्ज होने का नामान्तरण संलग्न नहीं है। हमारे मत मे अपीलांट प्रतिवादी को अधीनस्थ न्यायालय मे अपना पक्ष रखने के अवसर दिए गए थे, परंतु दूसरी ओर यह भी तथ्य है कि अपीलांट अनुसूचित जनजाति से सम्बंधित ग्रामीण पृष्ठभूमि के व्यक्ति है। संभवतः वह अधीनस्थ न्यायालय में समय पर अपना पक्ष उचित तरीके से नहीं रख पाया। यह अपीलांट की लापरवाही तो है, परन्तु हस्तगत प्रकरण में उत्तराधिकार अधिनियम की व्याख्या को लेकर गंभीर प्रश्न अन्तर्निहित है। अधिवक्ता अपीलांट ने इस संबंध मे प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो के आधार पर यह साबित करने का प्रयास किया है कि पक्षकारान अनुसूचित जनजाति के होने के कारण इन पर हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 लागू नहीं होगा तथा पक्षकारान पर ओल्ड हिन्दु लॉ की विधियाँ लागू होगी तथा

आगे कथन किया कि अनुसूचिम जनजाति में पैतृक सम्पत्ति में पुत्रियों को हक अधिकार प्राप्त नहीं होते। हमारे मत मे ये तथ्यों और विधि का मिश्रित प्रश्न है जो मूलवाद मे ही तय हो सकते है। अपील के स्तर पर इन बिन्दुओं पर किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट ने कोई जवाब/कथन प्रस्तुत नहीं किया। यदि अपीलांट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया जाता है तो वह गंभीर रूप से उसके अधिकार प्रकरण मे प्रभावित हो सकते है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान पक्षकारान पर लागू होंगे अथवा नहीं?, यह प्रश्न निर्णित किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है। अपीलांट की पृष्ठभूमि को ध्यान मे रखते हुए उत्तराधिकार के गंभीर प्रश्न पर अपीलांट को अपना पक्ष रखने का एक अवसर दिया जाना उचित है। हालांकि अधीनस्थ न्यायालय मे वादी अपीलांट की लापरवाही रही है, अतः उस पर 2000/– रूपये की कोस्ट लगाई जाती है, जो वह रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 को अदा करेगा। एक अन्य तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि नायब तहसीलदार द्वारा तैयार विभाजन प्रस्ताव मे ग्राम तेल्याखेड़ी की भूमि मे कृषक मय व वल्दियत के कॉलम मे "माफी चौकीदारी" अंकित किया गया है, जबकि पक्षकारान खातेदार है। अतः ग्राम तेल्याखेड़ी की भूमि में अंकित "माफी चौकीदारी" से क्या आशय है? यह स्पष्ट नहीं है। अतः 2000/– रूपये की कोस्ट पर अपीलांट प्रतिवादी को अधीनस्थ न्यायालय में अपना जवाब व पक्ष रखने हेतु मौका दिया जाता है।

13. अपीलांट की ओर से प्रस्तुत दोनो अपीलें, अपील संख्या 2014/00070 एवं अपील संख्या 2014/00071 स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी जिला कोटा के प्रकरण संख्या 57/2009 मे पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 23.01.2012 एवं अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 14.11.2013 खारिज की जाती है। प्रकरण अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह 2000/– रूपये की कॉस्ट रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 को अदा करने पर अपीलांट को जवाबदावा प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुए, गुणावगुण पर विधि सम्मत नवीन निर्णय पारित करे। उभय पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई हेतु दिनांक 01.08.2023 को उपस्थित रहे।

14. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटाई जावे।

15. निर्णय आज दिनांक 06.07.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा